



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57164

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 39187 वर्ष 2025

सुधाकर एवं 4 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता	: दिव्यांशु कुशवाहा, राजीव कुमार मिश्रा
विपक्षीगण के अधिवक्ता	: जी.ए., हरेंद्र प्रकाश द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन वाद संख्या 1518 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सुधाकर एवं अन्य), जो वाद अपराध संख्या 282 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 115(2), 352, 351(2), 324(4), 191(2) बी.एन.एस., थाना नवाबगंज, जनपद गंगा नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-16, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें दिनांक 13.06.2025 का संज्ञान आदेश भी सम्मिलित है, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा केवल आवेदकगण को परेशान करने के उद्देश्य से उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथन के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप लगभग नहीं है, जिसके आधार पर विचारण आगे बढ़ाया जा सके। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथन स्वयं पूर्व की घटना को दर्शाता है, जिसमें कुछ आवेदकगण पहले से ही कई अन्य धाराओं के अंतर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं, जिसमें धारा 302 भारतीय दंड संहिता भी सम्मिलित है; वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथन मात्र आशंका पर आधारित है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान आपराधिक कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लगभग कोई आरोप ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित विवेचना अधिकारी ने उनके विरुद्ध आरोप-पत्र किस आधार पर प्रस्तुत किया और उस आरोप-पत्र पर बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए विद्वान संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया, जो विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है और अतः इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1992 सप्लीमेंट (1) एस.सी.सी. 335]** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

4. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदकगण की ओर से उठाए गए तर्क विवादित तथ्यों से संबंधित हैं और इनमें साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होगा।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के परिशीलन के उपरांत, इस न्यायालय का मत है कि आवेदकगण के विरुद्ध विचारण चलाए जाने का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः अस्पष्ट प्रकृति के हैं और मात्र आशंका पर आधारित हैं, जो पूर्व की घटना को प्रदर्शित करते हैं।

6. **भजन लाल (उपर्युक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही उन मामलों की व्यापक श्रेणियां निर्धारित कर दी थीं, जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णय का पैरा 102 निम्नवत् है:

"102. संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या तथा इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत एवं पुनरुत्पादित किया है, हम उदाहरण के रूप में मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां निर्धारित करते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि ऐसे मामलों के संबंध में कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से निर्देशित और अनम्य दिशानिर्देश अथवा कठोर सूत्र निर्धारित करना तथा उन असंख्य प्रकार के मामलों की संपूर्ण सूची देना संभव नहीं हो सकता, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, जिससे संहिता की धारा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण उचित ठहराया जा सके, सिवाय संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए ऐसे आरोप, जिनका खंडन नहीं किया गया है, तथा उनके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं और संहिता की धारा 155(2) में परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई अन्वेषण अनुमत नहीं है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने असंगत और स्वभावतः असंभव हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी प्रावधान में स्पष्ट वैधानिक रोक है, जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है, अथवा कार्यवाही को संस्थित करने और जारी रखने पर रोक है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी वैकल्पिक उपचार का विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के उद्देश्य से तथा निजी एवं व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई हो।"

7. वर्तमान मामले में आवेदकगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप, जितने भी हैं, पूर्णतः अपर्याप्त हैं और प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, वे इतने दूर की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कौड़ी और असंभाव्य हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। वस्तुतः वर्तमान मामला **भजन लाल (उपर्युक्त)** में निर्धारित श्रेणी (1) और (5) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आता है और ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देना स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष अन्याय का परिणाम होगा। अतः यह वर्तमान कार्यवाही को निरस्त करने के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने हेतु उपयुक्त मामला है।

8. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों के आलोक में, वाद संख्या 1518 वर्ष 2025 (राज्य बनाम सुधाकर एवं अन्य), जो वाद अपराध संख्या 282 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है, धारा 115(2), 352, 351(2), 324(4), 191(2) बी.एन.एस., थाना नवाबगंज, जनपद गंगा नगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-16, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें दिनांक 13.06.2025 का संज्ञान आदेश भी सम्मिलित है, एतद्वारा निरस्त की जाती है।

9. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में किसी अवैध गतिविधि के संबंध में विपक्षी संख्या 2 को कोई क्षति या प्रतिकूल प्रभाव होता है, तो विपक्षी संख्या 2 द्वारा इसकी सूचना दिए जाने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा मामले का समुचित सत्यापन करने के उपरान्त उसका विधि के अनुसार निराकरण किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

19 मार्च, 2026

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सैफ

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”